पत्रांक–8/आ० 5–116/2013................./

शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक,

डॉ० रणजीत कुमार सिंह, भा०प्र०से०,
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)।

सेवा में,

श्री प्रभुनाथ चौरसिया,
तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी,
धोरैया, बांका सम्प्रति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी,
कहलगॉव, भागलपुर ।

पटना, दिनांक ..../

विषयः– **बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139(ख) के तहत स्पष्टीकरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबध में कहना है कि आपके के द्वारा विद्यालय से बाहर के बच्चों का डाटा बेस तैयार नहीं करना, म० वि० ओलपुरा के प्रभारी के स्थानांतरण के फलस्वरूप बिना प्रभार दिये विरमित होना, निर्माणाधीन कमरे यथावत रहने पर ससमय संज्ञान नहीं लेना, विभागीय कार्य के प्रति अकर्मण्यता, लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण विभागीय कार्य अवरूद्ध रहना के आरोप में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, भागलपुर के पत्रांक 778 दिनांक 31.05.2013 द्वारा श्री चौरसिया के विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित किया गया, जो प्रशासी पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के पत्रांक 7186 दिनांक 29.10.2013 के माध्यम से प्राप्त हुआ। उक्त के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 1812 दिनांक 23.12. 2013 द्वारा श्री प्रभुनाथ चौरसिया, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, धोरैया, बांका सम्प्रति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कहलगॉव, भागलपुर से बचाव अभिकथन की मांग की गयी। श्री प्रभुनाथ चौरसिया के पत्रांक 41 दिनांक 24.01.2014 द्वारा बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। प्राप्त बचाव अभिकथन पर निदेशालय के पत्रांक 634 दिनांक 21. 05.2014 द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, भागलपुर से मंतव्य की मांग की गयी। उक्त के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, भागलपुर के पत्रांक 481 दिनांक 28.03.2018 को मंतव्य समर्पित किया गया, जिसमें श्री प्रभुनाथ चौरसिया के बचाव अभिकथन पर असहमति व्यक्त की गयी थी।

2. इसी क्रम में श्री प्रभुनाथ चौरसिया, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, धोरैया, बांका सम्प्रति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कहलगॉव, भागलपुर के विरूद्ध फर्जी तरीके से नियुक्त श्री रामनंद मंडल, सहायक शिक्षक, मध्य विद्यालय धनकुण्ड एवं छितिज मंडल, सहायक शिक्षक, मध्य विद्यालय अस्सी मकैता, अंचल– धोरैया के वेतनादि का भुगतान किये जाने के आरोप में जिला शिक्षा पदाधिकारी, बांका के पत्रांक 670 दिनांक 11.03.2018 द्वारा एक अन्य आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। उक्त के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 395 दिनांक 05.04.2018 द्वारा श्री प्रभुनाथ चौरसिया से बचाव अभिकथन की मांग की गयी। श्री प्रभुनाथ चौरसिया ने अपने पत्रांक 109 दिनांक 21.04.2018 द्वारा बचाव अभिकथन समर्पित किया गया । श्री प्रभुनाथ चौरसिया से प्राप्त बचाव अभिकथन के समीक्षोपरांत आरोप की प्रकृति गंभीर और वित्तीय मामलों से संबंधित पाया गया ।

3. अतएव उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री प्रभुनाथ चौरसिया से प्राप्त बचाव अभिकथन संतोषजनक नहीं पाये जाने के फलस्वरूप श्री चौरसिया के विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क'

गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधान के तहत श्री प्रभुनाथ चौरसिया, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, धोरैया, बांका सम्प्रति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कहलगॉव, भागलपुर को विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया तथा उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री प्रभुनाथ चौरसीया दिनांक 29.02.2020 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 371 दिनांक 16.03.2020 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी०) के अन्तर्गत्त सम्परिवर्तित गया। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर –सह–संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या 01, 02, 03 एवं 05 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

अतः उक्त के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139(ख) के तहत स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के एक पक्ष के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर यह समझा जायेगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक –8/आ० 5–116/2013....451.... पटना,दिनांक....20/05..../2020

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर –सह–संचालन पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर–सह–उपस्थापन पदाधिकारी, बांका/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान), भागलपुर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), भागलपुर/बांका/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्री प्रभुनाथ चौरसिया, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, धोरैया, बांका सम्प्रति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कहलगॉव, भागलपुर एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

निदेशक(प्राथमिक शिक्षा)

E/NEHA KUMARI/HINDI LETTER Manoj SIR